न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

भू–हदबन्दी 16 (III) अपील वाद संख्या–118/2013

मो0 शफी अख्तर बनाम विमल कुमार सिन्हा

आदेश की कम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
10/03/15	**आदेश** अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद आवेदन मो0 शमी अख्तर (2) मो0 शदरूल अंसारी दोनो पे0–मो0 शकील अंसारी (3) कलीम अंसारी पे0–स्व0 मो0 वजी अंसारी, ग्राम–भवानीपुर निमौठी, थाना+अंचल–बहेड़ी, सदर अनुमण्डल, जिला–दरभंगा की ओर से वकालतनामा के साथ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, दरभंगा द्वारा एरिया सिलिंग वाद सं0–03/06–07, 04/06–07 में दिनांक–15.06.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध वाद आवेदन दाखिल किया गया। अपीलार्थी द्वारा दाखिल वाद आवेदन को प्रतिग्रहित कर निम्न न्यायालय के अभिलेख की माँग की गयी। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, दरभंगा के पत्रांक–2011/भू0सु0, दिनांक–13.12.13 से निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ जो अभिलेख पर संधारित है। विपक्षी के सदस्य अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि श्री अनिल कुमार सिन्हा के द्वारा दो केवाला क्रमशः 1989 एवं 1990 दिनांक–07.02.1996 को ग्राम–पैगम्बरपुर स्थित खाता सं0–56 खेसरा सं0–473 पुराना रकवा 1 कट्ठा चौहद्दी उत्तर–पी0डब्लू0डी0 सड़क, दक्षिण–विक्रेता, पश्चिम–राम नारायण पंडित एवं अन्य सगीर अहमद को बेचा गया। इसी प्रकार दो कट्ठा भूमि अनिल कुमार सिन्हा के द्वारा सगीर अहमद के हाथों बेचा गया जिस पर दखल–कब्जा भी दिया गया। सगीर अहमद के द्वारा 3 निबंधित केवाला के माध्यम से 2 कट्ठा जमीन अपीलार्थी को हस्तांनातरित कर दिया गया। अपीलार्थी संख्या–01 एवं 02 के द्वारा सगीर अहमद के 1 1/2 कट्ठा जमीन का दो निबंधित केवाला सं0–930 एवं 931 दिनांक–19.01.2001 से खेसरा सं0–473 का 15–15 धूर प्रत्येक के द्वारा खरीद की गयी। शेष 10 धूर जमीन सगीर अहमद के द्वारा अपीलार्थी संख्या–03 कलीम अंसारी के हाथों निबंधित केवाला संख्या–929 दिनांक–19.01.2000 के माध्यम से बेच दिया गया जिस पर खरीददार को दखल–कब्जा भी दे दिया गया। अपीलार्थी द्वारा खरीदगी भूमि का दाखिल–खारिज अंचल अधिकारी, हायाघाट द्वारा किया गया है जिसके आधार पर अपीलार्थी संख्या–01 एवं 02 सरकार को लगान अदा करते आ रहे हैं। इसी प्रकार कलीम अंसारी अपीलार्थी संख्या–03 द्वारा खरीद की गयी 10 धुर भूमि का अंचल अधिकारी, हायाघाट द्वारा दाखिल खारिज किया गया। अपीलार्थी द्वारा खरीद की गयी	